मु. नं.

क्रमांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
7.6.17	प्रार्थी राजस्व लोक अदालत - मान अदालत द्वारा केस होने पर आज पेश हुआ पश्चात्कथन शेष है तथा अ. पश्चात्कथन करने से अ. बेकार जानकर पत्र प्रस्तुत किया कि मैं पश्चात्कथन के संबंध रखता हूँ। मुझे ही प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता प्रकरण वापस लेना चाहते हैं। प्रार्थी / वादी का कथन पत्र स्वीकार किया जाता है वादी का वाद शर्तिया दर्ज होकर खारिज किया जाता है पक्षकारों परस्पर खर्चा बेकार वाद वापसी वकालत के शामिल होकर होगा।	